अपील/12/2022 न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर

1—विजय सिंह पुत्र रामसहाय
2—गिरधरसिंह
3—मुरारी
4—दीवानसिंह
} पिसरान विजयसिंह जाति मीना निवासी सेवला तहसील नदवई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

रमेश पुत्र पिलुआराम जाति जाटव निवासी पहरसर तहसील नदवई जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदवई दिनांक 18.2.2021 वमुकदमे रमेश वनाम विजयसिंह वगैरा मु0न0 1/2020 183(बी) राज0 टीनेन्स एक्ट ।

उपस्थित :—
1—श्री पुरुषोत्त्म मुदगल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2— श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 20.3.2024

अपीलान्टस ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई निर्णय दिनांक 18.2.2021 वमुकदमे रमेश वनाम विजयसिंह वगैरा मु0न0 1/2020 183(बी) राज0 टीनेन्स एक्ट जिसके खिलाफ यह अपील अपीलान्ट ने पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.2.2021 में तहसीलदार नदवई ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये रेस्पो0 अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 2516 रकवा 0.38 हे0 ग्रांम पहरसर तहसील नदवई से वेदखल किये जाने की आज्ञा पारित की गई है, उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्टस द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.6.2022 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत फाईल नत्थीबद्ध की गई। रेस्पो की ओर से अभिभाषक श्री गंगाराम शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2516 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से ही चला आरहा है। तहसीलदार ने केवल कायस के आधार पर कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। पिलुआ गैरप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, हल्का पटवारी एवं नायव तहसीलदार ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर यह कार्यवाही कराई जाकर रमेश पुत्र पिलुआराम को गलत खातेदार दर्ज कराया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्टस करीब 100 साल से विवादित आराजी को जोतते बोते आरहे हैं तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना कर अपीलाधीन त्रुटिपूर्ण जारी किया है जो काबिल खारिज के रहता है, ग्रांम वासीयों द्वारा महजरनामा व ग्रांम पंचायत करही के सरंपच द्वारा यह प्रमाणित किया है कि अपीलान्टस अतिक्रमी नहीं है उनके विरुद्ध 183 बी आर.टी.एक्ट की कार्यवाही न्याय संगत नहीं है। योग्य अभिभाषक ने अपील देरी को माफ करने के लिये बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.2.2021 अपीलान्ट गैर मौजूदगी उनके बैक में पारित हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा फैसले के बारे में दिनांक 20.11.2021 को बतलाये जाने पर जानकारी हुई है, तब जाकर अपीलान्टस ने तहसील कार्यालय से नकल वगैरा ली गई, इसी बीच प्रार्थी बीमार हो गया ठीक होने पर अपील पेश की गई है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपील देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया है। अपील की देरी को माफ की जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. अपने तर्क में जाहिर किया कि रेस्पो. विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। अपीलान्टस ने प्रार्थी की आराजी पर जबरेन कब्जा कर लिया है। अपीलान्टस का विवादित आराजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जबरेन कब्जा जमाये बैठे हैं। तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है। रेस्पो. राजस्व रिकार्ड में रमेश पुत्र पिल्लू खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है, अपीलान्टस तहत न्यायालय में उपस्थित थे, अपीलाधीन आदेश उनकी जानकारी में था। तहत न्यायालय द्वारा धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

करते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में हमारा ध्यान डीएनजे 2015(2) पेज 774, आरबीजे (25)2018 पेज 350, आरआरडी 1996 पेज 511, आरआरडी 1999 पेज 244, आकर्षित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का गहन अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा उद्यरत दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम के साथ अपना शपथ पत्र पेश किया गया है।

आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it must be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

इस प्रकार उक्त नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया। तहत पत्रावाली एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–2–2021 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 2516 रकवा 0.38 पर अपीलान्टस द्वारा गैर कानूनी किये गये अवैध कब्जे (अतिक्रमण) से अपीलान्टस को बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्टस का यह कहना कि अपीलाधीन आदेश उसके अनुपस्थिति में पारित किया गया है स्वीकार योग्य नहीं, क्यों कि तहत न्यायालय ने अपीलान्टस को विधिवत नोटिस जारी किये हैं, अपीलान्टस ने न्यायालय तहत में उपस्थित होकर अपना जबाब भी पेश किया है। अपीलान्टस का यह कहना कि वर्षो से विवादित आराजी पर उनका कब्जा है इसलिये उन्हें बेदखल नही किया जा सकता है, रेस्पो का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं, क्यों कि उन्होने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज राजस्व रिकार्ड वगे. पेश नहीं किया है जिससे विवादित आराजी पर वे किसी भी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हों, जहॉ तक विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है– अपीलान्टस ने विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा / अतिक्रमण किया हुआ है, यह तथ्य तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी गवाहन से स्पष्ट है, तथा अपीलान्टस स्वयं ने भी अपनी अपील की मद नम्बर–4 में इस बात को स्वीकार किया है कि " .....अपीलान्टस अतिक्रमी नहीं है .....वरन 100 साल से अपीलांट ही जोते बोते चले आ रहे हैं.....।" अतः यह निर्विवाद है कि अपीलान्टस ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण / नजायज कब्जा किया हुआ है जो नियमों के विपरीत है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर खण्ड पीठ निर्णय दिनांक 24.4.2018 उनवानी मौहम्मद अली बनाम शांतिलाल में पारित निर्णय (आरबीजे (25) 2018 पेज 350) में प्रतिपादित किया है :–

> "..... RAJASTHAN TENANCY ACT 1955 Section 183 - When on the disputed land possession of the appellant is un-authorised – He id liable for ejectment from the disputed land – Appllellant cannot get khatedari rights on the basis of adverse possession....."

जिला कलक्टर
भरतपुर

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर खण्ड पीठ की उक्त नजीर विचाराधीन प्रकरण पर पूर्ण रुप से चस्पा होती है। अपीलान्टस किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने के हकदार नहीं हैं। तहसीलदार नदबई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.2.2021 विधिवत कार्यवाही करते हुये पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावाली तहत तहसीलदार नदबई को वापिस लौटाई जावे।

निणर्य आज दिनांक 20.03.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)